

**न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,**  
**अवर न्यायाधीश प्रथम, जगदीशपुर(भोजपुर)**  
**हकीयत वाद सं. 214/2021**

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
20/03/2023	<p>उभयपक्ष की हाजिरी है। प्रस्तुत वाद आज प्रतिवादी संख्या 6 श्याम सुंदर यादव उर्फ में मेगारी यादव के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 30/01/2023 एवं वादी की तरफ से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 13/03/ 2023 पर आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में ही सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रतिवादी के द्वारा अपने उक्त आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद की विवादित जमीन प्रतिवादी के पूर्वज रघुनंदन अहीर की खरीद की जमीन है जिसमें रघुनंदन अहीर के बरिशानो के अलावा किसी दूसरे को कोई सरोकार नहीं है एवं वादी ने गलत कुर्सीनामा बनाकर यह मुकदमा दाखिल किया है। प्रतिवादी का आगे कथन है कि विवादित भूमि खाता नंबर 272 खेसरा नंबर 1093/ 2581 कुल रकबा 5 कठ है जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 का दो मंजिला मकान है एवं मकान का प्रथम तुला पुराना मकान है जो बरसात में टपकता है जिससे काफी परेशानी होती है एवं दूसरा ताला पहले से बनकर तैयार है परंतु छत की ढलाई करना बाकी है। प्रतिवादी का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद में निषेधाज्ञा आदेश पारित है जिस कारण प्रतिवादी के मकान के दूसरे तल्ले का छत का ढलाई नहीं हो पा रहा है जबकि उसका सेटरिन लगा हुआ है एवं दूसरे तल्ले की छत की ढलाई करना बहुत जरूरी है अन्यथा प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को द्वितीय तला के छत की ढलाई एवं प्लास्टर कराने की अनुमति दिया जाए।</p> <p>वादी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध अपने प्रत्युत्तर दिनांक 13/03/2023 द्वारा करते हुए कथन किया गया है कि उक्त आवेदन खारिज योग्य है एवं प्रस्तुत वाद में निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17/11/2021 से ही उभयपक्ष पर लगा हुआ है तथा प्रतिवादी द्वारा बिना न्यायालय की आज्ञा के ही दीवाल बनवाया तथा सेंटिंग लगवाया जोकि गैर कानूनी है तथा वादी को पहले ही परमिशन लेना चाहिए जिस कारण उक्त आवेदन खारिज योग्य है। वादीगण का आगे कथन है कि वादिनी एक महिला है जो कम पढ़ी लिखी है तथा घर से बाहर चले जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 ने नाजायज लाभ उठाकर दीवाल निर्माण कर लिए तथा जब वादिनी घर आई तो इसकी सूचना थाने को दी तब प्रतिवादी संख्या 6 का निर्माण कार्य रुका एवं वादिनी की तरफ से उक्त कार्यवाही के संदर्भ में विविध वाद लाने वाली थी तब तक प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दाखिल कर दिया गया। वादीगण द्वारा आगे प्रतिवादी के आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों के पूर्वज रघुनंदन अहिर थे तथा प्रतिवादी गण के पूर्वज सबसे बड़े एवं परिवार के कर्ता थे जिस कारण वादी के पूर्वज सारा कमाई उन्हें दिया करते थे एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पिता की जानकारी में हाल सर्वे का निर्माण हुआ जिसका पक्का सबूत स्वत्व वाद संख्या 376 वर्ष 1996 जो अवर न्यायाधीश</p>	

**न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,**  
**अवर न्यायाधीश प्रथम, जगदीशपुर(भोजपुर)**  
**हकीयत वाद सं. 214/2021**

Cont.  
20/03/2023

द्वितीय जगदीशपुर में चल रहा है जिसमें वादिनी व प्रतिवादी व प्रतिवादी गण पूर्वज व खूद प्रतिवादी संख्या 6 ने खुद गवाही में प्रमाण दिए हैं एवं वाद संख्या 143/1993 द्वितीय मुंशीफ आरा में चली जिसका अपील वाद संख्या 30/2014 श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के न्यायालय में चल रहा है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संयुक्त रूप से मुकदमा दाखिल कर मुकदमा लड़ रहे हैं। वादीगण का आगे कथन है कि यदि प्रतिवादी संख्या 6 यदि खानगी बांट की बात को स्वीकार करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वादीगण को मौखिक बंटवारे में वाद पत्र के अनुसूची ख में वर्णित भूमि मिली है पर अपना दावा छोड़ मुकदमे में सुलह कर लेना चाहिए और अंततः उक्त आवेदन को खर्चों के साथ खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि के निमित्त बटवारा हेतु लाया गया है I वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के वाद पत्र के अनुसूची क की जमीन में वादी एक एवं दो का 7 / 21 हिस्सा एवं वादी 3 का 2 / 21 हिस्सा होना अगर प्रतिवादीगण कबूल कर लेते हैं तो वादी को वाद पत्र के अनुसूची में वर्णित भूमि के निमित्त बटवारा का डिग्री दिया जाए अगर नहीं कबूल करते हैं तो वादीगण के अनुसूची क के जमीन में 9/21 हिस्से का बंटवारा कर दिया जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का रकबा 5 कठा दर्शित किया गया है जबकि वाद पत्र के अनुसूची क में उक्त भूमि का रकबा 5 एकड़ 32 डिसमिल दर्शित है जिसमें वादी के द्वारा अपना हिस्सा जोकि अनुसूची ख में वर्णित है 30 डिसमिल का दावा किया गया है । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में उभय पक्ष के निषेधाज्ञा आवेदन के आलोक में आदेश दिनांक 17/01/ 2022 के द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है तदुपरांत प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा उक्त आवेदन लाकर के मकान के दूसरे तले के छत निर्माण की अनुमति की मांग की गई है अभिलेख में उपस्थिति पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद में प्रत्यास्थापना की कार्यवाही वादी के द्वारा किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा वादी का वाद पत्र में प्रकट किए गए उसके हिस्से की भूमि के दृष्टिगत तथा प्रतिवादी द्वारा पूर्व से निर्मित मकान के ऊपरी मंजिल के छत के निर्माण हेतु मांगी गई अनुमति के संदर्भ में न्याय हित में प्रतिवादी का उक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है, इस शर्त के साथ की प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी निर्माण प्रस्तुत वाद के अंतिम निर्णय के अधीन होगा । वाद दिनांक 27/03/2022 वास्ते सुलह वार्ता ।

ले0

अवर न्यायाधीश—प्रथम जगदीशपुर भोजपुर,